राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

ई–मेल ssraj.sje@Rajashan.gov.in

क्रमांक : एफ. 15 ( )/सा.सु./मु.पु.गृह/सान्याअवि/2024–25/ जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

जिला मुख्यालय पर बेघर, वृद्धजन एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह (राजकीय भवन निर्मित होने तक अस्थाई रूप से) का दौसा, अजमेर तथा टोंक जिले में संचालन किया जाना है।

राज्य सरकार उक्त योजना में स्वयंसेवी संस्था की महत्वपूर्ण भागीदारी के दृष्टिगत रखते हुए बेघर, वृद्धजन, एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' (**Expression of Interest**) जारी कर **दिनांक 10.03.2025** तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को निम्न क्रम से चयन में प्राथमिकता दी जावेगी–

1. जिन स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा गृह का संचालन स्वयं के भवन में एवं बिना अनुदान मांग के किया जाएगा।
2. जिन स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा गृह के संचालन हेतु भवन किराये की मांग की जाएगी उन्हें राजकीय भवन उपलब्ध कराने पर गृह के संचालन हेतु किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगी।
3. जिन स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा गृह के संचालन हेतु स्वयं का भवन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा तथा संचालन हेतु अनुदान की मांग की जाएगी।
4. जिन स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा भवन किराया एवं संचालन हेतु अनुदान की मांग की जाएगी। ।

नोटः– आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट sje.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 ( )/सा.सु./मु.पु.गृह/सान्याअवि/2024–25/ जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर........................
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.................. को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार कार्यवाही किया जाकर सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.02.07 12:22:26 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव